


30/10
25

वकील इला. प्र.। वकील विपरीत न जवाब
नहीं देना कष्ट करने का निर्देश दिया
कष्ट पुनी गई। वकील विपरीत न जवाब
दे। खारीज करने का निर्देश दिया।
जवाब न्यायोचित होने से 500/- पांश
रूप में पर लीका दिया जाता है।
उ. प्र. 73/2024 को पुनः न्याय पर
लिफ्ट होने का आदेश दिया जाता है।
पत्रावली के पत्र भुगत होना न्याय
के लक्ष्य है।


साहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

